



F-07-08
F-07-11

सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1334 का संशोधन सहित नवीकरण

Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1334

विषय/ Sub: एयर स्पीड स्विच, पार्ट सं. 1652 00 000 /

Air Speed Switch, Part No.: 1652 00000

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एएसईआरडीसी, असेसरीज़ प्रभाग, बाराबंकी रोड, लखनऊ – 226 016, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित “ एयर स्पीड स्विच ” पार्ट सं.: 1652 00 000, को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1334, दिनांक 27 फरवरी 2008, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 1334 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1334-1आर, दिनांक 28 फरवरी 2013 द्वारा नवीकरण किया गया जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक थी।

This is to state that the “Air Speed Switch” bearing the Part No.: 1652 00 000, designed, developed and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, ASERDC, Accessories Division, Barabanki Road, Lucknow – 226 016 was issued with Type Approval No.: 1334 vide reference No.: CEMILAC/5070/TA-1334, dated: 27th February 2008. Subsequently it was renewed vide reference No.: CEMILAC/5070/TA-1334-1R, dated: 28th February 2013, with validity up to 31st December 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 फरवरी 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 जनवरी 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), डीआरडीओ. सेमिलैक, द्वारा एचएएल पोस्ट, लखनऊ – 226 016, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is here by renewed w.e.f 01st February 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st January 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), DRDO, CEMILAC, C/o HAL Post, Lucknow – 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. परिशिष्ट 'ए' के पृष्ठ 1 में, प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाण पत्र सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1334, दिनांक 27 फरवरी 2008, तालिका-1 की अंतिम पंक्ति में निम्नलिखित को जोड़ा जाए:

In Page 1, of Appendix 'A' of initial Type Approval Certificate No.: CEMILAC/5070/TA-1334, dated: 27th February 2008, add the following as last row of the Table 1:

<i>Approved Component Build Standard</i>	<i>ACBS No.:1652 00000 Issue –1J, dated:19thDecember 2015</i>
--	--

4. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1334, दिनांक 27 फरवरी 2008 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1334, dated: 27th February 2008 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक) बेंगलूरु – 560 037, की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]"

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।


All other conditions stipulated in the initial Type Approval Certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए/TA-1334/2R

दिनांक /Date : 23 February 2018

फैक्ससं./Fax No: 080 – 2523 0856

KD JR.


(पी .जयपाल / P. JAYAPAL)
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)